पुलिस विभाग अजमेर

—: प्रेस नोट :—

दिनांक 10.10.2017

हरियाण ब्रडं की 228 शराब की बोतल जब्त

पुलिस थाना गांधीनगर में एएसआई अरविन्द कुमार मांगीलाल मय महावीर प्रसाद मय जीप सरकारी मय अनुसंधान बॉक्स के वास्ते मोर्निंग गश्त व जरायम कन्ट्रोल हेतु थाने से पर रवाना

होकर गश्त ईलाका हाईवे पर एन एच 8 पर करता हुआ समय 06.35 ए एम पर मेगा हाईवे पर्यावरण रोड के सामने पहुचॉ तो एक ईनोवा गाडी बैरंग सफेद न0 MH 12 HV 6860 जो रूपनगढ की तरफ से आई पुलिस जीप को देखकर पर्यावरण रोड की तरफ तेज गति से घुमा की सन्देह होने पर ईनोवा गाडी का पीछा कर रोका व चालक से वाहन के कागजात मागे तो चालक ने कोई कागजात नही होना बताया व घबरा गया जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम सुधीर सिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट उम्र 29 साल निवासी रोप थाना रोहतक सदर जिला रोहतक हरियाणा होना बताया व बगल मे बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र हवासिंह जाति चमार उम्र 30 साल निवासी दुर्गा कॉलोनी रोहतक होना बताया उक्त दोनों शख्स कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे सन्देह होने पर गाडी को चेक किया तो गाडी के अन्दर शराब की बोतले रखी हुई मिली उपरोक्त दोनों शख्सों से वाहन मे रखी शराब के बारे मे पूछा तो कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया वाहन मे रखी शराब के लाईसेंस व परमिट के बारे मे पूछा तो नहीं होना बताया जिस पर मांगीलाल को कार्यवाही हेतु स्वतत्र गवाह लाने हेतु भेजा गया कुछ समय पश्चात ने आकर बताया कि समय अभाव के कारण कोई स्वतत्र गवाह बनने को तैयार नही है। अतः हमराह महावीर प्रसाद व मांगीलाल को स्वतत्र गवाह मामूर किया गाडी मे रखी

शराब को चेक किया गया व बाहर निकालकर गिना गया तो वाहन के अन्दर रखी मेकडॉल न0 1 आरीजनल सुपर व्हिसकी for sale हरियाणा only का लेबल लगा हुआ है कुल 228 बोतले मिली उपरोक्त शख्सो का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम का पाया जाने पर मु0न0 223/17 धारा उपरोक्त मे कायम कर तफतीश विश्रामलाल एएसआई के जिम्मे की गयी, अनुसंधान जारी है।

शान्ति भग के आरोप में चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में 1.राजेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति रावणा राजपुत उम्र 34 साल निवासी देव की गली मसूदा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. गजराज पुत्र जीवण सिंह जाति रेबारी उम्र 41 साल निवासी डुण्डी का

बाडिया मसूदा थाना मसूदा जिला अजमेर 3. नारायण पुत्र नाथु जाति रेबारी उम्र 65 साल निवासी बेगलियावास थाना मसूदा जिला अजमेर 4. गुलाब पुत्र नारायण जाति रेबारी उम्र 28 साल निवासी बेगलियावास थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।